

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./४००

सूरजपुर, दिनांक/ २६ / ०४ / 2024

प्रति,

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:-

सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with ROW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Surajpur District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 7.396 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/146672/2021

संदर्भ:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ) नवा रायपुर अटलनगर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-933/633 दिनांक 01.03.2024
2. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-157/2024/1901 दिनांक 20.03.2024

— 00 —

विषयांकित संदर्भित पत्र-1 में Laying of OFC along with ROW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Surajpur District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 7.396 हे. के प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर के द्वारा डब्ल्यू नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा जारी गार्ड लाईन अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 1.000 हे. से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बाध्यता एवं छूट नहीं देने की जानकारी देते हुये प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का चयन कर डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर संशोधित प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का चयन कर डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्राक्कलन तैयार कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे, ताकि प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र -01 एवं 02 मय प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर, वनमण्डल सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक/ २६ / ०४ / 2024

पृ. क्रमांक/मा.चि./४०१

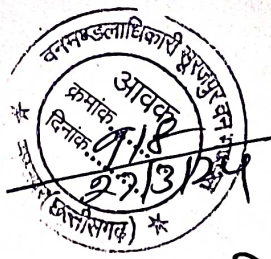
प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध), अटलनगर नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

✓ 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर, वनमण्डल सूरजपुर

Divisional Forest Officer
Surajpur Division
Surajpur (C.G.)



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O) 07774-240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न.क्र.-157/2024/1901
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 20/03/2024

वनमण्डलाधिकारी,
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

विषय :- सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with ROW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas पद Surajpur District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 7.396 है। पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/146672/2021

संदर्भ :- 1. कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./न.क्र.-157/2023/3587 दि. 16.10.2023
2. अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-933/633 दिनांक 07.03.2024

—00—

उल्लेख है कि विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय के संदर्भित पत्र-1 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर प्रेषित किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रेषित वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र-2 द्वारा MOEF नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार भूमिगत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 1.000 हे. से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बाध्यता एवं छूट नहीं देने की जानकारी देते हुये प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का चयन कर DGPS रिपोर्ट एवं 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्राक्कलन तैयार कर संशोधित प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ के संदर्भित पत्र-2 की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का चयन कर DGPS रिपोर्ट एवं 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्राक्कलन तैयार कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र-2 मय प्रस्ताव 04 प्रतियों में।
(मय DGPS सर्वे रिपोर्ट)

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 20/03/2024

पृ0क्र0/मा.चि./न.क्र.- 157/ 2024/ 1902

प्रतिलिपि :-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, फोर्थ फ्लोर ऑफिस ब्लॉक, ऑफिस नम्बर. 401-405, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्ड), रायपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)
 ई - मेल: npccf-lm.cg@gov.in

दूरभाष: 0771 - 2512840

नवा रायपुर, दिनांक 27/03/2024

क्र0/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-933/633

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
 सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर
 छत्तीसगढ़

870

13.03.24

विषय :-

सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under network strengthening and providing connecting to Rural Areas in Surajpur District of Chhatisgarh हेतु क्षेत्रफल 7.396 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:-

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/146672/2021

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्र/मा.चि/न.क्र.-157/2023/3587 दिनांक 16.10.2023

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार 7.396 हे. का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा जारी नवीन गाईड लाईन (दिनांक 01.12.2023 से प्रभावी है) के अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के 1.00 हे. से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बाध्यता है एवं छुट नहीं दी गई है।

अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का चयन कर डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्राक्कलन तैयार कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

तदनुसार प्रस्ताव 3 प्रतियों में मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

प्रस्ताव 03 प्रति में (मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट)

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
 छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-933/634

नवा रायपुर, दिनांक 27/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड़क), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
 छत्तीसगढ़

प्राप्त 27/03/24

15.03.2024

32-OFC Line Letter 2024

मुख्य वन संरक्षक
 सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर
 (छत्तीसगढ़)